

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

4802. श्री खगेन मुर्मु :
श्री महाबली सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;
- (ख) क्या वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आज की तिथि तक भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) उक्त अवधि के दौरान कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि का किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है;
- (ड.) क्या सरकार ने कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों के साथ कोई परामर्श किया है ;और
- (च) यदि हां ,तो देश में विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा द्वारा की गई विभिन्न पहलों और किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) सरकार वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित निर्यात निष्पादन की मॉनिटरिंग कर रही है। वर्ष 2023-24 के लिए निर्यात के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष (अप्रैल 2022 – जनवरी 2023) के दौरान, कृषि निर्यात 43.37 बिलियन अमरीकी डालर रहा है,

जो पिछले वित्त वर्ष की अर्थात् अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान 40.90 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 6.04% की वृद्धि दर्ज करता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत का कृषि निर्यात 50.21 बिलियन अमरीकी डालर के उच्चतम स्तर तक पहुँच गया।

(घ) कृषि निर्यात में वृद्धि से किसानों की आमद में वृद्धि होती है और उनकी आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसानों को निर्यात से लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों/कंपनियों (एफपीओ/एफपीसी) और सहकारी समितियों को सीधे निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किसान कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है।

(ड.) सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। सरकार कृषि निर्यात नीति (एईपी) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्यात हब के रूप जिला में (डीईएच) पहल का उपयोग कर रही है। डीईएच पहल के अन्तर्गत निर्यात क्षमता वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित उत्पादों की पहचान देश के सभी 733 जिलों में की गई है। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात कार्यनीति तैयार की गई है।

(च) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन गतिविधियों में सतत् लगा है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एपीडा 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन स्कीम' को कार्यान्वित करता है। स्कीम के विभिन्न घटकों अर्थात् अवसंरचना विकास, बाजार विकास और गुणवत्ता विकास के तहत विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलाप किए जाते हैं और निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है। एपीडा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने, वर्चुअल व्यापार मेलों का आयोजन करेंगे, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजन करने और जीआई उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ सहयोग कर रहा है। एपीडा ने निर्यात क्षमता वाले नए उत्पादों और नए गंतव्यों के लिए परीक्षण शिपमेंट की सुविधा भी प्रदान की है। निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी के मुद्दे का हल करने हेतु, वाणिज्य विभाग ने एपीडा के तत्वावधान में व्यक्तिगत उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन मंचों (ईपीएफ) की स्थापना की है। ईपीएफ में व्यापार/उद्योग, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, नियामक एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों आदि का प्रतिनिधित्व होता है। चावल,

केला, अंगूर, आम, प्याज, डेयरी उत्पाद, पोषक अनाज, अनार और फ्लोरीकल्चर के लिए क्रमशः 9 ईपीएफ का गठन किया गया है। एपीडा ने हाल के दिनों में कृषि उत्पादों के लिए कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ईरान आदि जैसे देशों में नए बाजारों को खोलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एपीडा किसान समूहों को निर्यात-बाजार लिंकेज प्रदान करने और उद्यमियों को संभावित निर्यातक बनने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और निर्यातकों के लिए कृषि विकास केंद्रों के सहयोग से कृषि-निर्यात समूहों और राज्यों में क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। एपीडा ने कृषि निर्यात के विकास के लिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ सहक्रिया के भी प्रयास किए हैं।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4789

दिनांक 29 मार्च 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

मसाला बोर्ड

4789. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

श्री दयाकर पसुनूरी:

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

श्रीमती कविता मलोथू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के गुना और राजस्थान के रामगंज मंडी में धनिया के लिए दो मसाला बोर्ड हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मिर्च के लिए भी तीन मसाला बोर्ड हैं जिसमें से एक आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, एक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में और एक तमिलनाडु के शिवगंगा में स्थित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को निजामाबाद में हल्दी बोर्ड की स्थापना करने के लिए किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जी नहीं। मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय मसाला बोर्ड को हल्दी, धनिया और मिर्च सहित 52 मसालों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए, देश में हल्दी बोर्ड या किसी अन्य मसाला विशिष्ट बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

लाल मिर्च का निर्यात

4759. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाल मिर्च की तेजा किस्म का खम्मम से मुख्यतः चेन्नई और अन्य पत्तनों के माध्यम से चीन, बांग्लादेश और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देशों को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मसाला प्रसंस्करण उद्योगों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप इस वस्तु के निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजा लाल मिर्च की भारी मांग के बावजूद किसानों को खेती की लागत में तीव्र वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अभाव के कारण निवेश की वसूली करने में कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ङ) क्या जो किसान शीतागारों में लंबे समय तक भारी भंडार रख सकते हैं, वे इस वस्तु की विशाल निर्यात क्षमता का समृद्ध लाभ उठा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 2014 से आज की तिथि तक, विशेषकर खम्मम और गुंदूर सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हाँ। तेलंगाना में खम्मम जिला लाल मिर्च की तेजा किस्म के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और यह तेजा किस्म भारत से, बांग्लादेश आदि जैसे विभिन्न देशों को निर्यात की जा रही है। भारत से मिर्च के लिए शिपमेंट का प्रमुख बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है।

(ख): भारत से मिर्च के प्रजाति वार निर्यात का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि मिर्च की विभिन्न प्रजातियों के लिए आईटीसीएचएस कोड नहीं है। भारत से मिर्च का निर्यात 2017-18 में 4,43,900 एम टी से बढ़कर 2021-22 में 5,57,168 एम टी हो गया।

(ग) और (घ): तेजा लाल मिर्च की इसकी गुणवत्ता जिसमें उच्च तीखापन और बहुत अच्छा रंग शामिल है के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी मांग है। 2021-22 में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिर्च का उत्पादन एक इनवेसिव पेस्ट, ब्लैक थ्रिप्स (थ्रिप्सपरविस्पिनस कर्नी) से प्रभावित हुआ था और खेती की उच्च

लागत ब्लैक थ्रिप्स प्रबंधन पर अतिरिक्त निवेश के कारण थी। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में गुंटूर बाजार में मिर्च की वार्षिक औसत कीमत नीचे दी गई है:-

गुंटूर बाजार- मिर्च	
वर्ष	कीमत (₹/क्विंटल)
2017-18	5639
2018-19	7716
2019-20	11636
2020-21	10272
2021-22	11267
2022-23 (अप्रैल से फरवरी)	16417

स्रोत: सुपारी और मसाला विकास निदेशालय

(ड) और (च): आमतौर पर मिर्च की कीमतें कटाई के मौसम की तुलना में ऑफ सीजन के दौरान अधिक होती हैं। यह किसानों के लिए एक नियमित परम्परा है कि किसान ऑफ सीजन में मांग को पूरा करने के लिए शीत ग्रहों में अपना स्टॉक रखते हैं।

मिर्च के राज्य-वार उत्पादन के आंकड़े अनुबंध-I के रूप में संलग्न हैं। खम्मम और गुंटूर जिलों में मिर्च के उत्पादन के आंकड़े अनुबंध-II के रूप में संलग्न हैं।

नागालैंड	47.904	48.791	50.391	40.887	0.805	1.798	1.754	4.328	1.572
ओडिशा	74.367	73.575	68.567	69.166	69.280	69.280	69.280	69.280	69.257
पंजाब	17.7	17.7	14.084	14.084	14.084	16.656	16.955	17.630	19.963
राजस्थान	11.456	12.92	18.218	18.781	13.282	14.356	20.033	10.925	13.378
तमिलनाडु	11.294	29.391	23.762	20.585	18.108	14.000	29.618	25.057	26.382
तेलंगाना	279.777	253.26	227.610	482.872	340.804	369.016	436.378	536.541	651.344
त्रिपुरा	3.7	3.7	3.700	7.208	6.312	6.545	6.664	6.698	6.960
उत्तर प्रदेश	10.951	11.149	10.260	10.260	12.578	12.716	11.808	12.065	25.410
उत्तराखंड	7.2	7.2	7.200	7.200	7.200	9.474	9.632	9.685	9.334
पश्चिम बंगाल	100	98.48	100.338	100.338	105.750	8.300	8.576	7.821	7.783
पांडिचेरी	0.039	0.076	0.030	0.026	0.064	0.076	0.093	0.011	0.133
अंडमान और निकोबार	0.605	0.605	0.605	1.474	0.300	0.781	0.313	0.118	0.340
कुल (अन्य सहित)	1534.1947	1631.5353	1494.691	2449.59	1,710.731	1,515.557	1841.799	2048.622	1836.222

स्रोत: सुपारी और मसाला विकास निदेशालय

लोकसभा में दिनांक 29-03-2023 को उत्तर के लिए नियत अतारंकित प्रश्न संख्या 4759 के भाग (ड.) और (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

अनुबंध- II

खम्मम और गुंदूर में लाल मिर्च का उत्पादन ('000 टन में उत्पादन)

वर्ष	खम्मम	गुंदूर
2013-14	125.821	332.309
2014-15	114.077	408.521
2015-16	95.208	266.708
2016-17	114.374	507.830
2017-18	135.255	351.097
2018-19	107.101	262.570
2019-20	150.235	456.253
2020-21	174.056	411.662
2021-22	186.367	165.177

स्रोत: सुपारी और मसाला विकास निदेशालय

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
वनस्पति तेलों का आयात

4745 श्री रामदास तडस:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए वनस्पति तेल आयात करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो इंडोनेशिया और मलेशिया सहित देश/मात्रा-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है;
- (ग) क्या ऐसे आयातों के परिणामस्वरूप देश में तिलहन के उत्पादकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार द्वारा वनस्पति तेलों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्य तेलों की आयात नीति 'मुक्त' है, और निजी आयातक निर्यात करने वाले देशों से खाद्य तेलों का आयात कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रमुख खाद्य तेलों के घरेलू थोक और फुटकर मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति है।

(ग) और (घ): सरकार देश में वनस्पति तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने तथा तिलहन (मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड और सरसो, सूरजमुखी, कुसुम, तिल का तेल, नाइजर, अलसी और अरंडी) के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके तथा पाम तेल तथा पेड़ों पर उगने वाले तिलहन (जैतून, महुआ, कोकुम, जंगली खुबानी, नीम, जोजोबा, करंजा, सिमारोबा, तुंग, चिऊरा और रतनजोत) का क्षेत्र विस्तार करके खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए वर्ष 2018-19 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन और पाम तेल (एनएफएसएम-ओएस एंड ओपी) का कार्यान्वयन कर रही है।

सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2021 में पाम तेल हेतु एक अलग मिशन अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य तेल (पाम तेल) मिशन-एनएमईओ (ओपी) लांच किया है। एनएमईओ (ओपी) को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लांच किया गया है।

देश में एनएफएसएम-तिलहन और एनएमईओ (ओपी) दोनों का तिलहन और पाम तेल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने और आयात बोझ को कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन प्रमुख पहलों के कारण तिलहनों के क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार में वृद्धि हुई है।

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
माल और सेवा निर्यात

4716 श्री बी. मणिकम टैगोर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या इस वित्त वर्ष में भारत के माल और सेवा निर्यात के 750 बिलियन डॉलर को पार कर जाने की संभावना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या चीन के साथ व्यापार घाटा साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार आयात को नियंत्रित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है; और
- (ङ) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): समग्र (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) का निर्यात वर्ष 2021-22 (अप्रैल-फरवरी) में 605.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अप्रैल-फरवरी) में 702.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 16.18 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। विकास की इसी गति को मानते हुए, वर्ष 2022-23 के लिए भारत के समग्र निर्यात के 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की आशा है।

(ग): चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में 2017-18 से 2020-21 तक प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर रूप से कमी आई है। इसमें 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ): सरकार ने गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात को कम करने हेतु निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:

1. निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने, सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना का निर्माण करने, और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवीनता का एक हब बनाने के लिए "मेक इन इंडिया" को 25 सितम्बर, 2014 को लॉन्च किया गया था। यह प्रथम 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक थी जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया के सामने उजागर किया।

2. "मेक इन इंडिया" ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और अब "मेक इन इंडिया 2.0" के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्र योजनाओं के समन्वय का कार्य देख रहा है।
3. विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, व्यापार करने में सुगमता में सुधार के लिए कार्रवाई, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी लाने हेतु उपाय, सार्वजनिक खरीद आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) जैसे कुछ नाम शामिल हैं।
4. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय से निवेशों में तेजी लाने और भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं का दायरा बढ़ाने और परिणामस्वरूप घरेलू निवेश और एफडीआई अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए 29 मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) स्थापित किए गए हैं।
5. भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विज़न को ध्यान में रखते हुए, 14 प्रमुख क्षेत्रों [1.97 लाख करोड़ रुपये के (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) प्रोत्साहन परिव्यय के साथ] के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों में भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं। ये प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक, (ii) क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स/ड्रग इंटरमीडियरीज एंड एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, (iv) ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, (v) फॉर्मास्युटिकल्स ड्रग्स, (vi) विशेष इस्पात (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ सेगमेंट और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, (xiii) उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, और (xiv) ड्रोन और ड्रोन संघटक।
6. भारत में निवेश करने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) बनाया गया है।

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीनी वस्तुओं का आयात

4704. डॉ.टी.आर.पारिवेन्धर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार चीन से अरबों डॉलर मूल्य के कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों के आयात के अतिरिक्त चीनी वस्तुओं के आयात में वृद्धि से चिंतित है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल की उसकी रणनीति को निष्फल करता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान चीन से आयात किए गए तैयार माल, कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और इन मदों पर कितनी राशि खर्च की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

- (क) से (ख): सरकार आयात में वृद्धि की नियमित आधार पर निगरानी करती है और घरेलू बाधाओं, आपूर्ति में क्लिष्टता का हल निकालने और उचित कार्रवाई से इन्हें ठीक करने के उपाय करने के लिए इसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाती है। चीन से आयातित कुछ मध्यवर्तियों और कच्चे माल जैसे सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्रियां, इलेक्ट्रॉनिक संघटकों, ऑटो संघटकों आदि का उपयोग तैयार उत्पाद बनाने के लिए भी किया जाता है जिसे भारत से बाहर भी निर्यात किया जाता है। सरकार द्वारा पाटन, आयात में अचानक वृद्धि और अनुचित व्यापार कार्यप्रणालियों को रोकने के लिए उचित व्यापार उपचार उपाय भी किए जाते हैं।

सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 14 कार्यनीतिक क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारतीय विनिर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, कोर सक्षमता/अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एकीकृत करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

- (ग): पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान प्रमुख वस्तु समूहों में चीन से भारत के आयात का विवरण अनुबंध में देखा जा सकता है।

29/03/2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4704 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान प्रमुख वस्तु समूहों का भारत का चीन से आयात

मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	वस्तु समूह	2019-20	2020-21	2021-22
1	कपास कच्चा एवं अपशिष्ट	8.07	0.02	0.88
2	वनस्पति तेल	0.56	0.22	0.91
3	दालें	51.58	46.36	24.77
4	फल और सब्जियां	48.41	36.69	37.88
5	लुगदी और रद्दी कागज	24.34	20.84	24.37
6	वस्त्र यार्न फैब्रिक, मेडअप आर्टिकल्स	895.03	700.60	970.88
7	उर्वरक, अपरिष्कृत और विनिर्मित	1820.93	1551.23	2953.45
8	गंधक और अनरोस्टेड आयरन पायराइट्स	0.21	0.13	0.12
9	मेटलीफेरस अयस्क और अन्य खनिज	261.54	238.42	372.64
10	कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि	160.32	20.71	477.24
11	पेट्रोलियम, अपरिष्कृत और उत्पाद	340.44	183.63	431.32
12	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	784.43	525.75	707.27
13	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	236.49	114.30	178.92
14	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	5197.64	5693.70	8486.57
15	डाइंग/टैनिंग/कलरिंग सामग्री	779.54	775.01	1211.26
16	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री, आदि	3165.79	2741.78	4696.03
17	रासायनिक सामग्री और उत्पाद	2467.49	2721.34	3568.67
18	अखबारी कागज	0.00	0.01	0.00
19	मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थर	61.24	45.20	74.07
20	लोहा और इस्पात	2706.35	2208.84	2976.06
21	अलौह धातुएं	1855.26	1460.08	2312.12
22	मशीनी उपकरण	1026.74	1109.88	1573.18
23	मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल	10865.44	10220.49	13664.89
24	परिवहन उपकरण	2470.58	2374.43	3104.84
25	परियोजना वस्तुएँ	438.28	347.92	196.45
26	व्यावसायिक उपकरण, ऑप्टिकल सामान, आदि	758.15	930.46	1532.17
27	इलेक्ट्रॉनिक सामान	21374.09	23936.27	35849.51
28	औषधीय और फार्मास्युटिकल उत्पाद	2562.85	2903.41	3481.49
29	सोना	0.00		
30	चाँदी	46.26	51.76	139.44
31	अन्य	4852.68	4252.76	5523.15

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4669

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमरीका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग

4669. श्री उपेन्द्र सिंह रावत :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

क क्या विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए हाल ही में अमरीकी वाणिज्य मंत्री के साथ कोई बैठक हुई थी

ख यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

ग इस बातचीत के माध्यम से नए व्यापार और निवेश अवसरों को खोलने की दिशा में होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है

घ विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और

(ड.) इस संबंध में बातचीत से देश को क्या लाभ प्राप्त हुआ है

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

क) जी हाँ.

ख) एवं (ग) अमरीकी वाणिज्य सचिव के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने भारत अमरीका वाणिज्यिक वार्ता के लिए मार्च को नई दिल्ली का दौरा किया जिसकी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और अमरीकी वाणिज्य सचिव ने सह-अध्यक्षता की।

भारत और यूएस के बीच मंत्री स्तरीय वाणिज्यिक वार्ता एक सहकारी वचनबद्धता है ताकि व्यापार को सुकर बनाने और आर्थिक सेक्टरों की व्यापक श्रृंखला के पार निवेश के अवसरों को

अधिकतम बनाने के उद्देश्य से गैर-सरकारी क्षेत्र के संयोजन से आयोजित की जाने वाली सरकार से सरकार के बीच नियमित वार्ता सुकर बनाई जा सके।

बैठक के उपरांत भारत-यूएसए वाणिज्यिक वार्ता के फ्रेमवर्क के तहत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी की स्थापना करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की पूरक क्षमता का लाभ उठाना और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के माध्यम से वाणिज्यिक अवसरों और सेमीकंडक्टर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सुगम बनाना है। इसमें पारस्परिक रूप से लाभप्रद अनुसंधान एवं विकास प्रतिभा और कौशल विकास की परिकल्पना है।

वाणिज्यिक वार्ता के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार दोनों पक्षों ने स्टार्ट-अप्स एसएमई कौशल विकास और उद्यमिता पर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभा नवाचार और समावेशी विकास पर एक नया कार्य दल शुरू करने की घोषणा की। यात्रा और पर्यटन कार्य दल को यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए फिर से शुरू किया गया। दोनों पक्षों ने व्यवसाय से व्यवसाय साझेदारी को सुलभ बनाने के लिए मानकों जलवायु और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग पर भी चर्चा की। संयुक्त वक्तव्य:

पर उपलब्ध है।

घ) द्विपक्षीय बैठकें व्यापार से संबंधित मुद्दों को सुलझाने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और अन्य अवसर पैदा करने की एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न स्तरों पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं हालांकि पिछले दो वर्षों में मंत्री स्तर पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित व्यक्तिगत बैठकों की सांकेतिक सूची अनुबंध (सूची संलग्न) में दी गई है।

ड) भारतीय प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भारत और विभिन्न देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग को गहरा करने में सहायता करेगी और विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में निवेश करने का अवसर भी प्रदान करेगी।

अनुबंध

पिछले दो वर्षों में वाणिज्य विभाग द्वारा विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री स्तरीय बैठकों के लिए कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्तरीय बैठकों की सांकेतिक सूची।

क्र.सं.	बैठक	वर्ष
	नवंबर, 2021 में आयोजित हुआ 12वां व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ)	2021
	12 अक्टूबर 2021 को सोरेंटो, इटली में 20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक के साइडलाइन पर के साथ बैठक	2021
	विश्व आर्थिक मंच की साइडलाइन पर वार्षिक बैठक 22-26 मई, 2022 को अमेरिकी वाणिज्य सचिव के साथ बैठक	2022
	जिनेवा में 12-17 जून 2022 तक आयोजित एमसी12 सम्मेलन के साइड लाईन पर यूएसटीआर के साथ बैठक	2022
	सितंबर में लॉस एंजिल्स, यूएसए में आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक के साइड लाईन यूएसटीआर और यूएस वाणिज्य सचिव के साथ बैठक	2022
	11 जनवरी 2023 को टीपीएफ बैठक आयोजित करने के लिए यूएसए की यात्रा के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव के साथ बैठक	2023
	13वीं व्यापार नीति फोरम की बैठक	2023
	10 मार्च, 2023 को भारत-अमेरिका 5वीं वाणिज्यिक वार्ता	2023
	व्यापार और निवेश पर भारत-कनाडा वार्षिक मंत्रिस्तरीय वार्ता (एमडीटीआई)।	2022
	जिनेवा में 12-17 जून 2022 को आयोजित 12 सम्मेलन के साइड लाईन पर कनाडा के व्यापार मंत्री के साथ बैठक	2022
	सितंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में जी 20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक (टीआईएमएम) की साइड लाईन पर कनाडा के व्यापार मंत्री के साथ बैठक	2022
	12 अक्टूबर 2021 को सोरेंटो, इटली में जी20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक की साइड लाईन पर कनाडा के व्यापार मंत्री के साथ बैठक	2021
	12 अक्टूबर 2021 को सोरेंटो, इटली में आयोजित जी 20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक की साइड लाईन पर मैक्सिकन व्यापार मंत्री से	2021

	मुलाकात	
	इटली में जी20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में 11-12 अक्टूबर 2021 के दौरान इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री महामहिम श्री मुहम्मद लुत्फी के साथ बैठक।	2021
	अक्टूबर 2021 में जी20 शिखर सम्मेलन के साईड लाईन पर श्री लॉरेस वॉंग, वित्त मंत्री, सिंगापुर के साथ बैठक।	2021
	नई दिल्ली में 22 फरवरी 2022 को मलेशियाई बागवानी, उद्योग और वस्तु मंत्री सुश्री जुरैदा कमरुद्दीन के साथ बैठक हुई	2022
	मई 2022 में दावोस डब्ल्यूईएफ के साईड लाईन पर इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री महामहिम श्री मुहम्मद लुत्फी के साथ बैठक।	2022
	07 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री श्री थरमन शनमुगरत्नम के साथ बैठक ।	2022
	महामहिम श्री आगस गुमीवांग कार्तसस्मिता, उद्योग मंत्री, इंडोनेशिया और महामहिम श्री एयरलांगगा का समन्वय मंत्री हार्टाटो 8-9 सितंबर 2022 को आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए लॉस एंजिल्स की अपनी यात्रा के दौरान बैठक हुई ।	2022
	16 सितंबर 2022 को आयोजित 19वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक	2022
	सीआईएम ने माननीय एफएम और माननीय ईएम के साथ 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 3 इण्डिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउण्ड टेबल (आईएसीएमआर) की सिंगापुर पक्ष से श्री लॉरेन्स वांग वित्त मंत्री सिंगापुर सरकार के साथ श्री गान किम यंग व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री एस ईश्वरन प्रभारी मंत्री व्यापार संबंध और डॉ.विवियन बालकृष्णन विदेश मंत्री सिंगापुर आईएसएमआर में थे।	2022
	सीआईएम ने 21-23 सितंबर 2022 को बाली में जी20 टीआईआईएमएम की साईड लाईन पर व्यापार मंत्री इंडोनेशिया श्री जुल्किफली हसन के साथ बैठक की।	2022

	श्री गान किम यंग, व्यापार एवं उद्योग मंत्री, सिंगापुर के साथ नई दिल्ली में 12 मार्च 2023 को बैठक।	2023
	श्री जुल्किफली हसन व्यापार मंत्री इंडोनेशिया के साथ 14 मार्च 2023 को नई दिल्ली में बैठक।	2023
	क्यूबा गणराज्य के विदेश व्यापार और विदेशी निवेश मंत्री (एमआईएनसीईएक्स) के साथ सीआईएम ने नई दिल्ली में 12.03.2020 को बैठक	2023
	सीआईएम ने डॉ. नोकोलास अल्बर्टोनी, विदेश कार्य के उप मंत्री उरुग्वे के साथ नई दिल्ली में 04.03.2023 को बैठक की	2023
	श्रीमती अनुप्रिया पटेल, राज्य मंत्री ने श्री अलेजेंद्रो सीमांकास मैरियन क्यूबा के राजदूत के साथ नई दिल्ली में 31.05.2022 को बैठक	2022
	सीआईएम ने श्री सैंटियागो एंड्रेस कैफिएरो, विदेश मंत्री, अर्जेंटीना के साथ नई दिल्ली में 25.04.2022 को बैठक की	2022
	सीआईएम ने मार्कोसुर-भारत व्यापार संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए विदेश उप मंत्री, सैंटियागो कैफिआरो के साथ 24-11-2021 को बैठक की	2021
	ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की (वर्चुअल मोड में) 03.09.2022 को 11वीं बैठक	2021
	19 और 20 जुलाई, 2022 को आयोजित भारत-अफ्रीका साझेदारी पर सीआईआई-एक्विम बैंक कॉन्क्लेव के सत्रहवें संस्करण के मौके पर, जुलाई, 2022 को राज्य मंत्री द्वारा गैबोनीज और इथियोपियाई समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।	2022
	25 जनवरी 2023 को भारत-मिस्र व्यापार गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था	2023
	भारत-ओमान संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम का 10वां सत्र 11 मई, को नई दिल्ली में आयोजित किया गया	2022
	भारत-ओमान संयुक्त व्यापार परिषद (जेबीसी का आयोजन 12 मई, को नई दिल्ली में किया गया था।	2022
	18 सितंबर 2022 को रियाद में आयोजित भारत-सऊदी अरब सामरिक साझेदारी परिषद (एसपीसी) के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक	2022

	एचआरएच प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान अल सऊद, ऊर्जा मंत्री, सऊदी अरब का 21 अक्टूबर को नई दिल्ली, भारत की यात्रा। आधिकारिक व्यस्तताओं में मंत्री स्तर की बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शामिल थी	2022
	महामहिम (डॉ.) नायेफ अल हजरफ , महासचिव, खाड़ी सहयोग परिषद, ने नवंबर 2021 और नवंबर 2022 में भारत का दौरा किया और माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।	2021 और 2022
	नई दिल्ली में 13 मार्च 2023 को आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट के साईड लाईन पर सीआईएम ने यूई और बहरीन के अपने समकक्षों से मुलाकात की।	2023
	कोरिया आरपी और सीआईएम के व्यापार मंत्री के बीच 11 जनवरी 2022 को द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों पर चर्चा करने और भारत कोरिया सीईपीए उन्नयन वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक	2022
	जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री और सीआईएम के बीच देशों में आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए 11 सितंबर 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी।	2022
	भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी) की 17वीं बैठक	2021
	12 अक्टूबर 2021 को 20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक (टीआईएमएम) के साईड लाईन पर सीआईएम और ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डैन तेहन के बीच द्विपक्षीय बैठकें हुईं	2021
	सीआईएम और ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डैन तेहन के बीच 01.12.2021 को बैठक	2021
	02.12.2021 को सीआईएम और ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री के विशेष दूत, श्री टोनी एबॉट एसी के बीच बैठक	2021
	6-9 अप्रैल, 2022 को अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान सीआईएम और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री, श्री डैन तेहन के बीच बैठक	2022
	25 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधान मंत्री श्री टोनी एबॉट के साथ सीआईएम की बैठक	2022

	12-15 जून, 2022 के दौरान जिनेवा में आयोजित 12 बैठक के दौरान सीआईएम और सीनेटर डॉन फैरेल, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक	2022
	एमओएस (सी एंड आई) और श्री रोजर कुक विधायक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य के उप प्रधान मंत्री और व्यापार, राज्य विकास और पर्यटन मंत्री के बीच बैठक	2022
	20.09.2022 को न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री डेमियन ओ'कॉनर के साथ सीआईएम की बैठक	2022
	29.12.2022 को ईसीटीए के लागू होने के संबंध में सीआईएम और ऑस्ट्रेलिया समकक्ष के बीच बैठक	2022
	भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी) की 18वीं बैठक	2023

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4655

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

बीज उद्योग

4655. श्री जुएल ओराम :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय के अनुसार, भारतीय बीज उद्योग को बढ़ावा देने और उन्हें वैश्विक बाजारों का पता लगाने में क्या-क्या चुनौतियां विद्यमान हैं; और
(ख) जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) सरकार बीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है। भारत, आर्थिक सहयोग और बीज विकास संगठन (ओइसीडी) स्कीम का अक्टूबर, 2008 से सदस्य रहा है। भारत छह ओइसीडी बीज स्कीमों अर्थात अनाज, मक्का, ज्वार, क्रुसिफर और अन्य तेल या फाइबर प्रजातियां, घास और फलियां और सब्जियां में भाग ले रहा है। ओइसीडी बीज स्कीमों में भाग लेने से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त लेबलों और प्रमाणपत्रों का उपयोग करके सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुकर बनता है। जब से भारत ओइसीडी बीज स्कीमों में शामिल हुआ है, पूर्वोक्त विभिन्न फसलों की 250 से अधिक भारतीय किस्मों को वैरिएटल प्रमाणन की ओइसीडी सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारत से बीज निर्यात को जोड़ने के लिए ओइसीडी बीज स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कार्यनीतिक अनुसंधान एवं नवाचार करने राष्ट्रीय रूप से संगत उत्पाद विकास जरूरतों का समाधान करने के लिए एक इण्टरफेस एजेन्सी के रूप में बायोटेक्नॉलोजी इण्डस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउन्सिल (बीआईआरएसी) की स्थापना की है ताकि उभरते बायोटेक उद्यमों को सशक्त एवं सुदृढ़ बनया जा सके। जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी अनुदान भी प्रदान करता है।

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
'रुपए' में विदेशी व्यापार

4622 श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विदेश व्यापार 'रुपए' में करने की पहल की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान 'रुपए' में किए गए विदेशी व्यापार का देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 आरबीआई/2022-2023/90 दिनांक 11.07.2022 के तहत भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु बीजक बनाने और भुगतान करने की अनुमति दी है। उक्त आरबीआई परिपत्र के अनुसार भारत के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करने के इच्छुक किसी साझेदार देश हेतु ढांचा स्थापित कर दिया गया है। तदनुसार, साझेदार देशों के बैंक भारत में प्राधिकृत डीलर (एडी) बैंकों से संपर्क कर सकते हैं जो बाद में समझौते के विवरण के साथ आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

डीजीएफटी द्वारा भारतीय रुपए में निर्यात/आयात का बीजक बनाने, भुगतान और निपटान को अनुमत करने हेतु विदेश व्यापार नीति में संशोधन भी किए गए हैं। आरबीआई के उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रुपए में प्राप्त निर्यात आय हेतु निर्यात लाभ प्रदान करने और निर्यात दायित्व की पूर्ति करने के लिए विदेश व्यापार नीति में संशोधन भी किए गए हैं।

आज की स्थिति के अनुसार, आरबीआई द्वारा 18 देशों, नामतः बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजरायल, केन्या, मलेशिया, मॉरीशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तजानिया, यूगांडा और यूनाइटेड किंगडम से संपर्ककर्ता बैंकों में विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (एसआरवीए) खोलने हेतु 60 मामलों में घरेलू और विदेशी एडी बैंकों को अनुमोदन प्रदान किए गए हैं।

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
जीईएम

4819. श्री धनुष एम. कुमार:

श्रीमती मंजुलता मंडल:

श्री जी सेल्वम.:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से किए गए कारोबार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए जीईएम पोर्टल शुरू किया गया था;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने सहकारी समितियों द्वारा क्रेता के रूप में खरीद करने की अनुमति देने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस-विशेष प्रयोजन वाहन के अधिदेश का विस्तार करने का अनुमोदन कर दिया है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या जीईएम पारदर्शी और कुशल खरीद सुनिश्चित करने के लिए सीधी खरीद, बोली लगाने और रिवर्स नीलामी के लिए साधन प्रदान करता है;
- (छ) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार प्रत्यक्ष खरीद, बोली और रिवर्स नीलामी का ब्यौरा क्या है और विशेषकर तमिलनाडु और ओडिशा सहित इसके राज्य वार क्या परिणाम रहे हैं; और
- (ज) सरकार द्वारा अपने सभी विभागों के लिए देश में ई-बाजार के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अनिवार्य बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से किए गए कारोबार का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	ऑर्डर मूल्य (करोड़ रुपये में)
वित्त वर्ष 19-20	22,916.22
वित्त वर्ष 20-21	38,570.57
वित्त वर्ष 21-22	1,06,510.27
वित्त वर्ष 22-23 (20/03/2023 तक)	1,81,482.91

(ख) और (ग): जी हाँ। सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीयू और एसपीएसयू), स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों के लिए पारदर्शी और कुशल तरीके से सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एंड-टू-एंड ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रदान करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित करने का अनुमोदन किया था।

यह उद्देश्य मुख्य रूप से पूरा हो गया है और जीईएम ने अपनी शुरुआत से 20.03.2023 तक ₹ 3,73,354 करोड़ का कुल खरीद मूल्य प्राप्त किया है।

(घ) और (ड.) : जी हाँ। सरकार ने जीईएम के अधिदेश का विस्तार करने के लिए जीईएम पर क्रेता के रूप में सहकारी समितियों द्वारा प्रापण की 1 जून 2022 को अपना अनुमादेन दिया ताकि अनुमति दी जा सके। जीईएम ने अपनी ऑनबोर्डिंग और प्रापण को सुविधाजनक बनाने के लिए पोर्टल पर आवश्यक प्रावधानों को सक्षम किया है। सहकारिता मंत्रालय से प्राप्त सत्यापित सूची के अनुसार जीईएम मल्टीस्टेट सहकारी समितियों और एकल-राज्य सहकारी समितियों को ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं।

15 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार, 526 सहकारी समितियों को जीईएम पोर्टल पर क्रेता के रूप में ऑनबोर्ड किया गया है।

(च): जी हाँ।

(छ): प्रापण का विवरण संलग्न अनुबंध के रूप में दिया गया है।

(ज): सरकार ने जीएफआर 2017 के नियम 149 के तहत एक प्रावधान किया है जिसके तहत जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए केंद्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य होगी।

दिनांक 29/3/2023 को लोकसभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 4819 के (भाग छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जीईएम पोर्टल पर वित्त वर्ष के अनुसार खरीद की मात्रा और मूल्य

वित्त वर्ष	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (करोड़ में)
वित्त वर्ष-16-17	6,284	422.02
वित्त वर्ष-17-18	372,624	5,876.53
वित्त वर्ष-18-19	1,333,866	17,461.61
वित्त वर्ष-19-20	2,181,588	22,916.22
वित्त वर्ष-20-21	2,575,082	38,570.57
वित्त वर्ष-21-22	3,316,454	106,510.27
वित्त-22-23 (20/03/23 तक)	4,679,756	181,482.91

जीईएम पर वित्त -वर्ष वार बोली/रिवर्स नीलामी और सीधी खरीद/एल-1 खरीद आदेश मात्रा/मूल्य

खरीद मोड	बोली/रिवर्स नीलामी मोड		सीधी खरीद/एल-1 खरीद मोड	
	वित्त वर्ष	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (करोड़ में)	ऑर्डर मात्रा
वित्त वर्ष-16-17	514	190.44	5,770	231.59
वित्त वर्ष-17-18	17,361	2,231.43	355,263	3,645.10
वित्त वर्ष-18-19	68,422	9,009.78	1,265,444	8,451.83
वित्त वर्ष-19-20	151,615	14,832.24	2,029,973	8,083.98
वित्त वर्ष-20-21	180,777	28,207.53	2,394,305	10,363.04
वित्त वर्ष-21-22	425,315	93,112.26	2,891,139	13,398.00
वित्त -22-23 (20/03/23 तक)	594,250	166,028.11	4,085,506	15,454.80

जीईएम पोर्टल पर राज्यवार ऑर्डर मात्रा/वैल्यू

वित्त वर्ष	कुल		वित्त वर्ष-16-17		वित्त वर्ष-17-18		वित्त वर्ष-18-19	
	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ करोड़ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ करोड़ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ करोड़ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ करोड़ में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	95,305	474.09	3	0.08	912	6.32	2,160	32.73
आंध्र प्रदेश	3,411	1,407.96	30	8.60	361	76.27	852	294.11
अरुणाचल प्रदेश	1,909	316.27	3	0.44	293	27.49	513	68.30
असम	6,096	1,622.89	1	0.07	51	19.94	528	68.20
बिहार	84,834	5,266.60	-	-	41	7.31	5,858	438.60
चंडीगढ़	108,339	2,394.64	9	1.06	733	19.41	5,152	145.61
छत्तीसगढ़	104,244	2,434.36	28	2.56	5,561	221.95	27,986	615.65
दादरा और नगर हवेली	5,883	73.43	-	-	62	0.96	740	8.78
दमन और दीव	8,221	108.50	-	-	536	8.20	1,358	20.93
दिल्ली	818,156	6,413.74	151	7.21	33,419	168.97	150,834	629.94
गोवा	1,361	90.05	1	0.07	28	4.17	44	2.69
गुजरात	682,558	14,891.18	48	3.95	1,538	81.83	21,840	935.24
हरियाणा	88,329	1,735.12	53	5.46	2,487	73.98	10,640	173.67
हिमाचल प्रदेश	40,307	783.22	14	0.98	224	12.09	2,862	95.78
जम्मू और कश्मीर	535,531	4,460.13	66	2.77	1,170	54.70	2,680	120.59
झारखंड	74,021	2,524.09	28	5.52	5,600	137.11	13,060	255.83
कर्नाटक	16,332	2,313.42	82	9.78	748	88.87	909	91.68
केरल	40,814	1,300.53	59	8.07	452	37.88	1,381	97.05
लद्दाख	14,418	276.82	-	-	-	-	-	-
लक्षद्वीप	1,049	39.45	-	-	126	7.46	256	8.55
मध्य प्रदेश	213,515	7,366.43	182	16.91	8,342	460.58	27,520	1,173.37
महाराष्ट्र	184,460	8,685.90	60	44.79	2,238	183.05	17,010	905.92
मणिपुर	2,284	294.91	-	-	26	2.33	135	19.01
मेघालय	349	124.98	-	-	7	1.27	29	14.81
मिजोरम	1,005	63.26	-	-	-	-	46	4.58

नागालैंड	438	63.22	-	-	6	2.80	32	10.90
ओडिशा	87,341	3,866.79	40	8.83	285	4.42	1,402	72.21
पुडुचेरी	12,067	206.37	1	0.06	193	2.49	745	8.66
पंजाब	26,300	2,185.38	29	5.97	734	38.52	2,231	244.94
राजस्थान	17,532	1,667.31	37	0.74	1,513	137.92	3,942	186.88
सिक्किम	540	54.10	7	0.21	4	0.27	59	3.10
तमिलनाडु	56,086	1,712.75	19	1.63	677	25.67	3,546	162.75
तेलंगाना	3,760	1,054.51	37	7.61	128	21.73	529	472.06
त्रिपुरा	14,245	397.50	3	0.10	202	12.19	616	18.57
उत्तर प्रदेश	1,177,692	30,988.82	52	15.19	14,067	557.84	90,404	1,698.56
उत्तराखंड	29,718	1,086.65	21	7.72	411	19.65	2,049	101.73
पश्चिम बंगाल	13,542	1,448.27	-	-	-	-	784	44.30

वित्त वर्ष	वित्त वर्ष-19-20		वित्त वर्ष-20-21		वित्त वर्ष-21-22		वित्त वर्ष -22-23 (20/03/23 तक)	
राज्य	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ करोड़ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ करोड़ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ करोड़ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ करोड़ में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,551	34.97	9,611	80.88	24,270	130.65	53,798	188.47
आंध्र प्रदेश	542	263.15	525	582.69	515	99.90	586	83.25
अरुणाचल प्रदेश	313	45.35	236	25.53	286	120.85	265	28.31
असम	837	144.38	756	304.12	940	172.47	2,983	913.72
बिहार	12,200	491.69	16,418	1,056.12	17,529	1,492.72	32,788	1,780.17
चंडीगढ़	20,418	338.10	20,499	436.39	22,060	598.03	39,468	856.05
छत्तीसगढ़	28,784	349.24	30,926	500.13	8,704	415.97	2,255	328.85
दादरा और नगर हवेली	1,365	8.27	718	4.82	1,004	11.59	1,994	39.01
दमन और दीव	1,393	15.80	1,482	14.07	1,361	16.50	2,091	32.99
दिल्ली	215,530	1,190.31	105,603	1,323.36	115,922	1,392.59	196,697	1,701.36
गोवा	106	7.28	165	9.66	461	30.34	556	35.83
गुजरात	105,248	1,248.76	116,022	1,869.83	164,692	3,486.17	273,170	7,265.40
हरियाणा	14,801	245.92	13,710	398.09	16,843	349.03	29,795	488.97
हिमाचल प्रदेश	5,037	94.79	8,194	128.08	10,750	199.93	13,226	251.57
जम्मू और कश्मीर	16,985	273.86	73,301	831.51	147,756	1,398.19	293,573	1,778.51
झारखंड	11,161	201.95	11,858	224.00	13,846	884.60	18,468	815.08
कर्नाटक	1,494	241.72	3,333	483.37	4,587	507.56	5,179	890.44
केरल	2,896	155.32	5,775	172.85	11,860	389.81	18,391	439.53
लद्दाख	62	1.28	3,779	55.13	5,042	101.22	5,535	119.20
लक्षद्वीप	179	6.62	67	3.16	218	6.73	203	6.94
मध्य प्रदेश	34,737	923.64	43,352	938.74	56,195	1,967.91	43,187	1,885.28
महाराष्ट्र	30,033	878.32	27,098	781.80	42,354	2,256.42	65,667	3,635.60
मणिपुर	184	7.86	643	43.02	530	148.44	766	74.26
मेघालय	47	4.98	40	4.76	57	59.16	169	40.01
मिजोरम	65	2.98	175	5.29	336	22.71	383	27.70
नागालैंड	80	10.67	101	4.78	173	30.83	46	3.23

ओडिशा	7,706	354.91	20,957	829.46	25,517	1,453.84	31,434	1,143.12
पुडुचेरी	1,642	15.39	2,027	49.63	2,663	51.83	4,796	78.30
पंजाब	4,174	310.87	5,460	536.84	6,156	827.94	7,516	220.31
राजस्थान	2,414	206.57	2,816	124.94	3,330	506.56	3,480	503.70
सिक्किम	44	4.35	66	13.10	96	11.39	264	21.68
तमिलनाडु	5,952	323.82	4,543	197.03	4,287	220.89	37,062	780.97
तेलंगाना	707	49.18	847	80.30	725	104.45	787	319.17
त्रिपुरा	1,331	42.01	2,582	51.96	4,521	106.05	4,990	166.60
उत्तर प्रदेश	155,348	2,442.97	243,325	4,599.31	296,391	11,219.81	378,105	10,455.13
उत्तराखंड	3,911	119.75	6,230	199.36	5,350	254.73	11,746	383.72
पश्चिम बंगाल	3,068	176.22	2,412	215.94	2,729	290.15	4,549	721.66

राज्य वार विड/रिवर्स नीलामी सीधी खरीद/एल - 1 खरीद मोड

खरीद मोड	सीधी खरीद/एल-1 खरीद मोड			
	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष-16-17	वित्त वर्ष -16-17	वित्त वर्ष-17-18
	राज्य	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)	ऑर्डर मात्रा
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	66250	808	25181400.66
आंध्र प्रदेश	30	86038477.09	291	332622213.2
अरुणाचल प्रदेश	3	4416084.66	281	266352582.2
असम	1	660368.19	43	159960801.6
बिहार	-	-	34	14062061.96
चंडीगढ़	9	10561642.24	650	135660119.2
छत्तीसगढ़	27	25488633.65	4990	1584087516
दादरा और नगर हवेली	-	-	62	9604491.01
दमन और दीव	-	-	522	73065425.02
दिल्ली	151	72091695.98	32994	1346507253
गोवा	1	716475	26	40577956.26
गुजरात	45	28055836.84	1452	756100424.1
हरियाणा	50	54068818.74	2213	691307075.3
हिमाचल प्रदेश	14	9807648.69	212	111327842.7
जम्मू और कश्मीर	65	18781150	1084	438782466.5

झारखंड	28	55245313.46	5416	687762294.4
कर्नाटक	77	76437909.73	653	711975720.1
केरल	51	48266207.63	398	290257264.1
लद्दाख	-	-	-	-
लक्षद्वीप	-	-	125	40569443.22
मध्य प्रदेश	177	46958326.38	8076	1741735495
महाराष्ट्र	45	22594071.46	1802	1183890301
मणिपुर	-	-	22	17939959.56
मेघालय	-	-	7	12707253.86
मिजोरम	-	-	-	-
नागालैंड	-	-	5	27237141.6
ओडिशा	40	88264404.23	265	37550393.25
पुडुचेरी	1	577030.88	151	17533756.52
पंजाब	27	59127987.54	670	361904229.8
राजस्थान	35	6590265.58	905	370578247.8
सिक्किम	7	2057105	2	2523963.92
तमिलनाडु	19	16321930.64	627	217256631.6
तेलंगाना	35	74914850.19	112	64217596.35
त्रिपुरा	3	1047741.3	131	81763586.98
उत्तर प्रदेश	52	151923047.7	13819	4771858306
उत्तराखंड	21	77215942.48	389	161780136.1
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-

खरीद मोड	सीधी खरीद/एल-1 खरीद मोड						
	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष-18-19		वित्त वर्ष-19-20		वित्त वर्ष-20-21	
		राज्य	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)	ऑर्डर मात्रा
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1819	166996745.7	3595	67019087.76	8406	132766886.1
	आंध्र प्रदेश	710	1640823529	346	66928828.48	301	168921860.3

अरुणाचल प्रदेश	438	172224090.3	250	121975576.6	215	69072528.44
असम	481	405033399.7	727	423315032.1	607	55404950.05
बिहार	5486	1658629025	11190	659099915.9	13798	1269602838
चंडीगढ़	4831	265565131.8	19125	463751076.1	19311	413451412.3
छत्तीसगढ़	26488	3020531989	27460	2475553214	29181	2855098312
दादरा और नगर हवेली	737	83618081.14	1346	73604775.3	711	44189047.29
दमन और दीव	1318	171074864.7	1337	121149613.7	1382	71580167.63
दिल्ली	149502	3797565896	213008	3836112242	103601	3237198772
गोवा	35	21273689.53	79	62541935.47	129	61044369.98
गुजरात	20832	2610491016	100555	3027198399	110682	4272465940
हरियाणा	9916	1337155346	13575	829575493.9	12688	793895532.9
हिमाचल प्रदेश	2580	658840357.6	4334	400097955.8	7451	665028929.5
जम्मू और कश्मीर	2441	714074634.7	15977	1420399303	70992	3992165417
झारखंड	12701	1343820068	10727	849537591.6	11568	1166013187
कर्नाटक	734	744205298.4	1142	900072418.4	2391	992371479.5
केरल	1148	600509057.7	2201	510259157.8	4845	785379023.7
लद्दाख	-	-	55	6083461.94	3677	179319768.9
लक्षद्वीप	235	67588921.05	150	34208127.1	49	14389996.19
मध्य प्रदेश	26247	4544286404	32818	4292919091	41653	5121198060
महाराष्ट्र	13795	1037871392	25595	1861030787	23823	2501914648
मणिपुर	107	96497516.35	154	68842828.99	550	107483512.7
मेघालय	24	19913247.51	35	15409057.52	20	2699248.03
मिजोरम	35	20356519	43	17707606.2	121	33645017.6
नागालैंड	21	46459917.14	62	44215835.25	91	39529307.34
ओडिशा	1190	358101643.6	6161	1472548680	18427	1307435194
पुडुचेरी	566	46016617.6	1269	36552965.97	1454	43818473.6
पंजाब	2014	742840418	3681	485582922.4	4855	981373019.9
राजस्थान	1498	897915063.7	1154	1126774521	2042	378691339.1
सिक्किम	50	19863742.22	16	28711010.87	57	119163095.5
तमिलनाडु	3347	908106547	5125	1685798591	3804	1039710852
तेलंगाना	468	4414733378	472	47151641.04	402	68888642.06
त्रिपुरा	477	81582169.54	1131	133191894.4	2168	131035150.4

उत्तर प्रदेश	89149	11683075825	148839	9342819260	234230	14465636812
उत्तराखंड	1862	510130039.5	3430	691928984.7	5579	911135783.1
पश्चिम बंगाल	631	248344888.5	2023	186430775.5	1742	544868870.5
खरीद मोड	सीधी खरीद/एल-1 खरीद मोड					
वित्त वर्ष	वित्त वर्ष-21-22			वित्त वर्ष -22-23 (20/03/23 तक)		
राज्य	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)		
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	22313	313396327.2	50949	575067909.3		
आंध्र प्रदेश	318	42160146.48	243	64773933.06		
अरुणाचल प्रदेश	77	10121917.39	113	10210872.43		
असम	817	157503662.8	2539	250286081.2		
बिहार	10925	704106494.9	22299	1676747839		
चंडीगढ़	20665	625273067.5	37629	666968236.5		
छत्तीसगढ़	7723	1214702525	1613	776150663.7		
दादरा और नगर हवेली	964	66676791.37	1922	67509439.56		
दमन और दीव	1295	60225786.15	1938	68612668.91		
दिल्ली	113514	5202487140	193580	6899429797		
गोवा	332	100045512.7	416	65030535.52		
गुजरात	154437	6384071215	256598	7751733807		
हरियाणा	15370	986723327	27050	1767303366		
हिमाचल प्रदेश	9804	836434292.6	12194	776446096		
जम्मू और कश्मीर	142699	6441910619	280670	6714007048		
झारखंड	12617	1019799517	16687	1139926181		
कर्नाटक	3119	989029960.4	3100	2540235961		
केरल	10326	1400167769	15632	2036341474		
लद्दाख	4681	311688998.5	5137	211160566.1		
लक्षद्वीप	163	17921744.97	162	20813073.22		
मध्य प्रदेश	52852	6903860283	37545	4338577551		
महाराष्ट्र	35397	3593934790	53280	4142115637		
मणिपुर	407	145721042.7	583	211822976.9		
मेघालय	14	9591187.42	13	4521909.17		
मिजोरम	156	22381885.55	216	113132349		
नागालैंड	156	34059868.46	16	11530070.22		

ओडिशा	21951	1101230978	27090	1395587549
पुडुचेरी	1966	107544426.2	3641	104267731.5
पंजाब	5483	820844049.6	6681	730541300.2
राजस्थान	2387	683565464.4	2141	763166289.8
सिक्किम	81	91872175.23	176	108539920.2
तमिलनाडु	3740	677131915.6	28994	3015034048
तेलंगाना	218	42762796.75	312	72207392.07
त्रिपुरा	3808	243563085.1	4337	296978248.3
उत्तर प्रदेश	280263	17912985855	353336	18261033904
उत्तराखंड	4764	879929170.6	10262	1064026006
पश्चिम बंगाल	1892	216554548.5	3050	348540159.8

जीईएम पर राज्यवार बोली/रिवर्स नीलामी और सीधी खरीद/एल-1 खरीद आदेश विवरण

खरीद मोड	बोली/रिवर्स नीलामी मोड					
वित्त वर्ष	वित्त वर्ष-16-17		वित्त वर्ष-17-18		वित्त वर्ष-18-19	
राज्य	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	719100	104	38017552.63	341	160270715.3
आंध्र प्रदेश	-	-	70	430037086.7	142	1300231230
अरुणाचल प्रदेश	-	-	12	8523620.1	75	510813762.7
असम	-	-	8	39403055.87	47	276984471.5
बिहार	-	-	7	59083054.72	372	2727330732
चंडीगढ़	-	-	83	58432373.16	321	1190524410
छत्तीसगढ़	1	152700	571	635414623.8	1498	3136001712
दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	3	4195025
दमन और दीव	-	-	14	8926865.02	40	38266886.24
दिल्ली	-	-	425	343197851.7	1332	2501839248
गोवा	-	-	2	1134500	9	5586782
गुजरात	3	11395381.93	86	62224416.99	1008	6741875080
हरियाणा	3	555780	274	48476386.2	724	399576521.2
हिमाचल प्रदेश	-	-	12	9552392.4	282	298911287.8
जम्मू और कश्मीर	1	8911085	86	108255450.6	239	491820776.6
झारखंड	-	-	184	683331879.7	359	1214490441
कर्नाटक	5	21344862.25	95	176717058.9	175	172557945.1
केरल	8	32469726.94	54	88580778.82	233	370037232.6
लद्दाख	-	-	-	-	-	-
लक्षद्वीप	-	-	1	34044260	21	17922188
मध्य प्रदेश	5	122098986.8	266	2864039353	1273	7189429248
महाराष्ट्र	15	425335550.4	436	646623348.8	3215	8021296868
मणिपुर	-	-	4	5359554	28	93557544
मेघालय	-	-	-	-	5	128151670
मिजोरम	-	-	-	-	11	25492752
नागालैंड	-	-	1	772800	11	62586158.1
ओडिशा	-	-	20	6668026	212	363961373

पुडुचेरी	-	-	42	7385283.99	179	40617165.21
पंजाब	2	532899.99	64	23315331.96	217	1706538210
राजस्थान	2	778976	608	1008641645	2444	970906747.2
सिक्किम	-	-	2	177097	9	11112383
तमिलनाडु	-	-	50	39407464.95	199	719361408.8
तेलंगाना	2	1226000	16	153100427.8	61	305871797
त्रिपुरा	-	-	71	40180899.31	139	104116122
उत्तर प्रदेश	-	-	248	806527366	1255	5302514908
उत्तराखंड	-	-	22	34688813.99	187	507122010.4
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	153	194653462.4
खरीद मोड	बोली/रिवर्स नीलामी मोड					
वित्त वर्ष	वित्त वर्ष-19-20		वित्त वर्ष-20-21		वित्त वर्ष-21-22	
राज्य	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	956	282675660.5	1205	676041708.9	1957	993057895.1
आंध्र प्रदेश	196	2564530666	224	5657989991	197	956866977.6
अरुणाचल प्रदेश	63	331499436.3	21	186226650.6	209	1198367847
असम	110	1020480587	149	2985762443	123	1567216099
बिहार	1010	4257755222	2620	9291579698	6604	14223048641
चंडीगढ़	1293	2917209931	1188	3950470142	1395	5355016776
छत्तीसगढ़	1324	1016830631	1745	2146236561	981	2945008423
दादरा और नगर हवेली	19	9119512.7	7	3999295	40	49180834.35
दमन और दीव	56	36869992.4	100	69157759.64	66	104792086.2
दिल्ली	2522	8067030724	2002	9996359527	2408	8723460684
गोवा	27	10307792.6	36	35595562.55	129	203396412
गुजरात	4693	9460432387	5340	14425874813	10255	28477661168
हरियाणा	1226	1629592907	1022	3187004898	1473	2503601179
हिमाचल प्रदेश	703	547812312.7	743	615777035.4	946	1162867116
जम्मू और कश्मीर	1008	1318226872	2309	4322909261	5057	7539978905
झारखंड	434	1169948327	290	1074002839	1229	7826159743
कर्नाटक	352	1517132913	942	3841356681	1468	4086597296
केरल	695	1042982025	930	943142604.3	1534	2497927150
लद्दाख	7	6749474	102	371957914.1	361	700480697.4

लक्षद्वीप	29	31972013.5	18	17171802	55	49349017.67
मध्य प्रदेश	1919	4943528682	1699	4266168798	3343	12775238991
महाराष्ट्र	4438	6922170726	3275	5316054934	6957	18970289338
मणिपुर	30	9740917.54	93	322719597.1	123	1338680755
मेघालय	12	34347600	20	44908023.5	43	581983917.5
मिजोरम	22	12103893	54	19210155	180	204687588.2
नागालैंड	18	62527561	10	8251549	17	274261342.9
ओडिशा	1545	2076542006	2530	6987193559	3566	13437212888
पुडुचेरी	373	117364484.1	573	452522683.1	697	410720019.9
पंजाब	493	2623091285	605	4387047397	673	7458567823
राजस्थान	1260	938914169.8	774	870673647	943	4382072581
सिक्किम	28	14799879	9	11881557	15	22075457
तमिलनाडु	827	1552379527	739	930576856.9	547	1531733806
तेलंगाना	235	444616537.2	445	734133386.8	507	1001759094
त्रिपुरा	200	286922185.2	414	388583348	713	816983267.6
उत्तर प्रदेश	6509	15086917007	9095	31527490013	16128	94285119767
उत्तराखण्ड	481	505538339.8	651	1082441728	586	1667415754
पश्चिम बंगाल	1045	1575766188	670	1614571639	837	2684959517

खरीद मोड	बोली/रिवर्स नीलामी मोड	
वित्त वर्ष	वित्त वर्ष -22-23 (20/03/23 तक)	
राज्य	ऑर्डर मात्रा	ऑर्डर मूल्य (₹ में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2849	1309621854
आंध्र प्रदेश	343	767693426.4
अरुणाचल प्रदेश	152	272865904.6
असम	444	8886919884
बिहार	10489	16124997072
चंडीगढ़	1839	7893543956
छत्तीसगढ़	642	2512368763
दादरा और नगर हवेली	72	322576538.6
दमन और दीव	153	261275136.7
दिल्ली	3117	10114147043
गोवा	140	293248605.9

गुजरात	16572	64902267801
हरियाणा	2745	3122397658
हिमाचल प्रदेश	1032	1739291591
जम्मू और कश्मीर	12903	11071078298
झारखंड	1781	7010851012
कर्नाटक	2079	6364180110
केरल	2759	2358969397
लद्दाख	398	980805747.8
लक्षद्वीप	41	48545723.3
मध्य प्रदेश	5642	14514211247
महाराष्ट्र	12387	32213884155
मणिपुर	183	530733771.9
मेघालय	156	395572126.4
मिजोरम	167	163839440.9
नागालैंड	30	20794409.3
ओडिशा	4344	10035638973
पुडुचेरी	1155	678757011
पंजाब	835	1472531141
राजस्थान	1339	4273811850
सिक्किम	88	108265276.9
तमिलनाडु	8068	4794657589
तेलंगाना	475	3119481979
त्रिपुरा	653	1369062670
उत्तर प्रदेश	24769	86290315333
उत्तराखंड	1484	2773184204
पश्चिम बंगाल	1499	6868052609

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

तंबाकू बोर्ड

4799. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क क्या तम्बाकू बोर्ड ने देश में तम्बाकू की खेती के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है
ख यदि हां तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में तम्बाकू की खेती के कुल क्षेत्र का ब्यौरा क्या है
ग क्या विगत वर्षों के दौरान देश में तम्बाकू की खेती के कुल क्षेत्र में वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है
घ यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि इससे संबंधित आंकड़े नहीं हैं तो इसके क्या कारण हैं
ङ क्या सरकार का विचार देश में तम्बाकू की खेती को हतोत्साहित करने और तम्बाकू किसानों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने का है और
च यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से घ तंबाकू बोर्ड ने देश में तंबाकू की खेती के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है क्योंकि बोर्ड को केवल फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू की खेती को विनियमित करने का अधिदेश है। कृषि और किसान कल्याण विभाग में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अनुमान के अनुसार, 2016-17 से 2020-21 तक तंबाकू की खेती के तहत क्षेत्र अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) से (च) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने तंबाकू उगाने वाले राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तंबाकू उगाने वाले किसानों को 2015-16 से वैकल्पिक फसल/फसल प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की चल रही एक उप योजना फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का विस्तार किया है। 2022-23 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तंबाकू की खेती को वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली के साथ बदलने के लिए सीडीपी के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 29.03.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4799 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

2016-17 से 2020-21 तक भारत में तंबाकू के तहत खेती का कुल क्षेत्रफल

वर्ष	तंबाकू के तहत क्षेत्र (000 हेक्टेयर)
2016-17	399.63
2017-18	410.62
2018-19	408.70
2019-20	404.29
2020-21	357.16

स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, डीए एंड एफडब्ल्यू

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए
दक्षिण एशियाई देशों से व्यापार

4772 श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि दक्षिण एशिया विश्व का सबसे कम अंतर-क्षेत्रीय व्यापार वाला क्षेत्र है;
- (ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार दक्षिण एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों में तेजी लाने के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने पर विचार कर रही है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (च) वर्ष 2019 से दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

- (क) यह डेटा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।
- (ख) और (ग) भारत सरकार अधिक अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी है। इन देशों द्वारा उठाए गए व्यापार को प्रभावित करने वाले मुद्दों को मंत्रिस्तरीय और ऑफिशियल स्तरों पर स्थापित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत के माध्यम से शीघ्र समाधान के लिए उठाया जाता है। भूमि कस्टम स्टेशनों, एकीकृत चेक पोस्टों, व्यापार सुविधा केंद्रों और सीमा हाटों आदि की स्थापना और उन्नयन के रूप में व्यापार की अवसंरचना में सुधार संबंधित पड़ोसी देशों के समन्वय से किया जाता है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के तहत भारतीय निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, शीर्ष व्यापार निकायों आदि को इन देशों में कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, इन देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए आईएनआर मूल्यवर्ग में व्यापार को बढ़ावा देने, क्रेडिट लाइन और परियोजना ऋण देने, खरीदार विक्रेता विवादों को हल करने आदि जैसे उपाय किए गए हैं।
- (घ) से (ङ.) एनटीबी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को पड़ोसी देशों के साथ संस्थागत तंत्र के तहत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के माध्यम से हल किया जाता है। इसमें सीमा शुल्क में सहयोग, रेलवे, भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार की सुविधा, मानकों का सामंजस्य आदि शामिल हैं।

(च) दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

आंकड़े अमरीकी मिलियन डॉलर में

क्र.सं.	देश	2019-20	2020-21	2021-22
1.	नेपाल	7871.95	7511.62	11016.79
2.	भूटान	1144.33	1134.02	1430.84
3.	बांग्लादेश	9465.49	10783.22	18134.30
4.	श्रीलंका	4704.61	4141.17	6812.16
5.	पाकिस्तान	830.58	329.26	516.36
6.	मालदीव	232.57	220.36	739.33
7.	अफ़ग़ानिस्तान	1527.42	1335.27	1065.40

29 ,

) ;)
) ;
) ;
) ;
) ;
) , ?

(

) , , ,

		₹	₹
2019-20	490	325.00	325.00
2020-21	240	171.40	171.40
2021-22	424	140.00	140.00
2022-23 (27.3.2023)	522	190.00	159.91

) ,) ,) ,

	₹		
2019-20	10.55	8.91	2.27
2020-21	2.38	5.01	1.75
2021-22	0	0.84	0.08
2022-23 (27.3.2023)	5.34	2.64	3.20

))

www.indiantradeportal.in),

, , , , ,

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4728

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
चीन के साथ व्यापार

4728. श्री टी. एन. प्रथापन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्तीय वर्ष 2014 से आज की तिथि तक आयात और निर्यात का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए चीन के आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता के क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या भारत पीएलआई योजनाओं के बावजूद रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चीनी आयात पर निर्भर रहता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (च) सरकार की इस पर क्या राय है कि चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए बनाई गई पीएलआई योजनाएं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल क्यों रही हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): जी नहीं । 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका था।

(ग): 2014-15 से 2021-22 तक चीन के साथ वर्ष-वार व्यापार घाटा नीचे दिया गया है:

(यूएसडी बिलियन में)

वित्तीय वर्ष	-2014 15	-2015 16	-2016 17	-2017 18	-2018 19	-2019 20	-2020 21	-2021 22	2022-23* (अप्रैल- जनवरी) (अन.)
व्यापार घाटा	48.48	52.69	51.11	63.05	53.56	48.65	44.03	73.31	71.56

*(अन.: अनंतिम)

2004-05 में चीन के साथ व्यापार घाटा 1.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2013-14 में 2346% की वृद्धि के साथ 36.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस भारी वृद्धि के विपरीत, चीन के साथ व्यापार घाटा 2013-14 में 36.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2021-22 में केवल लगभग 102% बढ़कर 73.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(घ): चीन से आयातित अधिकांश सामान पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती सामान और कच्चे माल हैं और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और बिजली जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों, कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों, टेलीफोन घटकों, आदि के आयात में वृद्धि का श्रेय भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए दिया जा सकता है। इन श्रेणियों में आयात पर भारत की निर्भरता काफी हद तक घरेलू आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर के कारण है। कुछ कच्चे माल जैसे एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) और ड्रग फॉर्मूलेशन, ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल फोन के पुर्जे भी तैयार उत्पादों को बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं जिन्हें भारत से बाहर निर्यात किया जाता है।

(ङ) से (च): एपीआई/बल्क ड्रग्स/की स्टार्टिंग मैटेरियल्स और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्र सहित 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई है और ये योजनाएं आयात पर निर्भरता कम करेगी और भारत को दवाओं/इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के अलावा अधिक डोमेस्टिक चैंपियन सृजित करेगी।

हालांकि पीएलआई स्कीम हाल ही में शुरू की गई है, लेकिन उन्होंने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। आज तक, 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना के तहत 717 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। बड़े पैमाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फार्मास्युटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और व्हाइट गुड्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने निवेश, उत्पादन/बिक्री और रोजगार की काफी मात्रा हासिल करने में योगदान दिया है। 51,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश पीएलआई योजनाओं के माध्यम से आया है, जिससे लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन/बिक्री हुई है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएलआई योजना के परिणामस्वरूप, जिसने मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों का निर्माण करने वाली वैश्विक और घरेलू कंपनियों में बड़े निवेश को आकर्षित किया है, भारत से मोबाइल फोन का निर्यात सितंबर, 2022 में पहली बार एक बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹8,200 करोड़ से अधिक) तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में मोबाइल फोन का निर्यात अक्टूबर 2022 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जो 2021-22 में इसी अवधि के दौरान यह 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए
गल्फूड 2023

4641. श्री सु. थिरुनवुक्करासर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत ने हाल ही में दुबई में आयोजित गल्फूड 2023 में भाग लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भारतीय उद्यमियों ने मेले में श्रीअन्न और इसके उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कृषि, डेयरी, दालों और मांस आधारित उत्पादों का प्रदर्शन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या खाने के लिए तैयार (आरटीई) और परोसने के लिए तैयार (आरटीएस) श्रेणियों में मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को गतिशील बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए थे; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) जी, हां। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 20-24 फरवरी तक आयोजित गल्फूड 2023 में भाग लिया। लगभग 150 भारतीय निर्यातकों ने भाग लिया और डेयरी, दालों और मांस आधारित उत्पादों सहित विभिन्न कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिसमें बाजरा और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया। गल्फूड 2023 के दौरान एक अनन्य बाजरा गैलरी स्थापित की गई थी, जिसमें भाग लेने वाले भारतीय निर्यातकों ने अपने बाजरा आधारित उत्पादों का प्रदर्शन किया, और विश्व भर के संभावित आयातकों के सामने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करके व्यापक प्रचार प्राप्त किया।

(घ) और (ङ) रेडी-टू-ईट (आरटीई) और रेडी-टू-सर्व (आरटीएस) श्रेणियों में मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा पूरे देश में क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है और ऐसे उत्पादों का उत्पादन करने वाले स्टार्ट-अप्स को संगठित कर रहा है। एपीडा बाजरा उत्पादक राज्यों में स्टार्ट-अप्स, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और निर्यातकों के साथ बाजरा और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। एपीडा “कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन योजना” भी कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत विकासात्मक कार्यक्रमलाप किए जाते हैं और स्कीम के विभिन्न घटकों अर्थात् अवसंरचना विकास, बाजार विकास और गुणवत्ता विकास के अंतर्गत निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है। एपीडा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने, वर्चुअल व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ भी सहयोग कर रहा है।

दिनांक मार्च 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए
प्राकृतिक रबर

4615. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वाणिज्य मंत्रालय 25 प्रतिशत आयात शुल्क की डब्ल्यूटीओ बाध्य दर की अनुमति देता रहा है;
- (ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात की गई मात्रा और संगृहीत आयात शुल्क की राशि वर्ष-वार कितनी है;
- (ग) क्या सरकार इस प्रकार संगृहीत आयात शुल्क के एक हिस्से को केरल जैसे रबर उत्पादक राज्यों के साथ साझा करने पर विचार कर रही है, ताकि प्राकृतिक रबर की कीमत में भारी गिरावट के कारण संकट का सामना कर रहे रबर किसानों को राजसहायता प्रदान की जा सके ताकि उन्हें प्राकृतिक रबर के लिए प्रति किलोग्राम 250 रुपये प्राप्त हो सके;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) रबड बोर्ड/कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति किलोग्राम प्राकृतिक रबड की उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या मंत्रालय मिश्रित रबर के आयात की अनुमति देता रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

- (क) विश्व व्यापार संगठन में प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) 1994 के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत प्राकृतिक रबड (एनआर) के शुष्क रूपों के लिए शुल्क की बाध्य दर 25% है।
- (ख) दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 23 मार्च, 2023 की अवधि के लिए आयातित प्राकृतिक रबड की मात्रा और एकत्रित आयात शुल्क के संबंध में ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।
- (ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- (ङ.) रबड बोर्ड द्वारा प्राकृतिक रबड बोर्ड की अनुमानित उत्पादन लागत (2021-2022) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्राकृतिक रबड की उत्पादन लागत (2021-2022)	
राज्य	लागत (₹./कि.ग्रा)
असम	66.01
कर्नाटक	91.30
केरल	90.64
त्रिपुरा	70.61
लागत: श्रम और सामग्री इनपुट की सभी भुगतान लागत, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और मूल्यह्रास टैपिंग प्रणाली: तीन दिनों में एक बार	

(स्रोत: रबर बोर्ड)

- (च) लागू आयात शुल्क के भुगतान पर एचएस कोड 4005 के अंतर्गत मिश्रित रबड के आयात की अनुमति है। केंद्रीय बजट 2023-24 में, कंपाउंड रबर पर सीमा शुल्क की दर 10% से बढ़ाकर 25% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम (प्राकृतिक रबर के समान) कर दी गई है।

29.03.2023 के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 4615 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध					
अप्रैल से 23 मार्च की अवधि के लिए 4 अंकीय सीटीएच सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्ष के लिए आयत का ब्यौरा					
क्र. सं.	वर्ष	मात्रा	इकाई	आकलन योग्य मूल्य रु में	आयात शुल्क रु.में
1	2018 - 2019	503755830.26	किग्रा	53341997571.41	10988251703.70
2	2018 - 2019	67962.731	मीटर	4926114049	753703543.2
3	2018 - 2019	6	नग	189939.9	9566.3
4	2018 - 2019	116	टुकड़े	242766.1	9553.6
5	2019 - 2020	351793921.9	किग्रा	37605050418	6922313573
6	2019 - 2020	190703.633	मीटर	9998906048	1804869262
7	2019 - 2020	508215	नग	55833324.22	18868427.7
8	2019 - 2020	3.00	पीएसी	8674.97	537.70
9	2019 - 2020	300.00	टुकड़े	554.27	187.80
10	2019 - 2020	1.00	इकाई	9562.70	754.30
11	2020 - 2021	290939618.13	किग्रा	32155705699.13	4875249135.60
12	2020 - 2021	188340.066	मीटर	10263809040	1725671921
13	2020 - 2021	1202	नग	1929767.7	278973.2
14	2020 - 2021	570	टुकड़े	104472.07	17697.2
15	2020 - 2021	20	वर्ग मी.	243050.6	12845.5
16	2021 - 2022	372235235.3	किग्रा	52092000800	6657945222
17	2021 - 2022	119200.21	मीटर	17484253942	2459114724
18	2021 - 2022	16608	नग	2182581.67	271259.2
19	2021 - 2022	381.00	टुकड़े	43514.45	16937.80
20	2021 - 2022	3.00	किमत	59.42	51.10
21	2022 - 2023	376906691.6	किग्रा	53832154526	7291757645
22	2022 - 2023	117549.753	मीटर	17168992022	2510016372
23	2022 - 2023	151989	नग	15451953.01	4398944.2
24	2022 - 2023	522	टुकड़े	358250.91	4540.6
25	2022 - 2023	2	सेट	249061.77	12522.4

स्रोत: राजस्व विभाग

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए
जर्मनी के चांसलर के साथ वार्ता

4611. श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत के प्रधान मंत्री और जर्मनी के चांसलर के बीच हाल ही में नई दिल्ली में हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किसी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
- (ग) यदि हां, तो भारत-यूरोपीय संघ एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को मजबूत करने के लिए किसी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

- (क) नेतृत्वकर्ताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। जर्मनी के चांसलर ने भारत-ईयू एफटीए के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
- (ख) यूरोपीय संघ, एक व्यापारिक ब्लॉक है जिसका जर्मनी सदस्य है, के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की जा रही है।
- (ग) भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए के लिए चार दौर की वार्ता आयोजित हो चुकी है।
- (घ) प्रश्न के उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
